न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व अपील संख्या 06 / 2022

श्री रामचन्द्र पुत्र श्री पन्ना, जाति जाट, निवासी ग्राम रामनगर, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर

............*अपीलान्ट*

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ

..........*रेस्पोन्डेन्ट*

अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. श्री रामसुख चौधरी, वकील अपीलान्ट की ओर से।
2. नायब तहसीलदार, अजमेर–प्रथम पैरोकार सरकार।

–: आदेश :–

दिनांक–22.03.2024

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि सम्वत् 2078 में श्री रामचन्द्र पुत्र श्री पन्ना, जाति जाट, निवासी ग्राम रामनगर, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर ने ग्राम रामनगर के सिवायचक आराजी खसरा नम्बर 242 रकबा 3.0256 हैक्टर किस्म गै0मु0 पाल में से रकबा 00–10–00 बीघा पर अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर लिया है। इस आशय की पटवारी हल्का की रिपोर्ट तहसीलदार रूपनगढ के समक्ष प्रस्तुत होने पर अतिक्रमी के विरूद्व राजस्व प्रकरण संख्या 133 / 2021 पंजीकृत किया जाकर बाद विधिवत सुनवाई के दिनांक 10.01.2022 को आदेश पारित किया गया। उक्त आदेशानुसार अतिक्रमी की विवादित भूमि से बेदखली व शास्ति कायम करने के आदेश दिये गये। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के इसी आक्षेपीय आदेश दिनांक 10.01.2022 से अप्रसन्न होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्ट के नाम नोटिस जारी किये गये। रेस्पोन्डेन्ट जरिये पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु निश्चित की गई।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपील में उठाये गये बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि अपीलान्ट एवं उसके परिजन ग्राम रामनगर स्थित आबादी भूमि पर अपने पूर्वजों के समय अर्थात राजस्थान राज्य में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व से समस्त ग्रामवासियान सहित वादग्रस्त आराजी पर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

निवास करते आ रहे हैं। उक्त तथ्य पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 07.01.2022 से स्वयं सिद्ध है कि अपीलान्ट विवादित आराजी के जिस भू–भाग पर आबाद है वहां पिछले 100 वर्षो से कहीं पर गैर मुमकिन पाल नहीं है एवं मौके पर 50 वर्ष पुराना पक्का मकान व पशुओं के बाड़े बने हुए हैं तथा अपने रिहायशी मकान में सन् 1995 से विद्युत कनेक्शन ले रखा है। ग्राम पंचायत पनेर द्वारा भी अपीलान्ट के पुराने मकान बने होने के आधार पर सन् 2017 में रिहायशी भूमि के पट्टे जारी किये गये हैं। मौके पर रिहायशी भूमि पर कोई पाल नहीं बनी हुई है एवं सम्पूर्ण आराजी पर रिहायशी मकान व बाड़े बने हुए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने क्षेत्राधिकार का विधि अनुसार प्रयोग करते हुए प्रकरण नियमन हेतु प्रेषित किया जाना चाहिये था किन्तु उनके द्वारा आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा कोई नया अतिक्रमण नहीं किया जाकर ग्राम रामनगर की आबादी भूमि में अपने बुजुर्गों के समय से ही रिहायशी मकान व बाड़े बनाकर निवास कर रहा है। यदि विवादित आराजी पर अपीलान्ट व उसके परिजनों का राजकीय भूमि पर पुराना अतिक्रमण माना जाता है तो अपीलान्ट उक्त आराजी का अपने पक्ष में नियमन कराने का अधिकारी है। अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपने जवाब नोटिस में उक्त अनुतोष देने बाबत प्रार्थना की गई थी किन्तु उक्त प्रार्थना पर कोई आदेश पारित नहीं कर इस बिन्दु को अनिर्णित रखते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जबकि प्रकरण नियमन की अनुशंषा कर नियमन कमेटी के समक्ष रखे जाने योग्य है। उनका आगे कथन है कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस दिनांक 20.12.2021 का आदेशिका दिनांक 22.12.2021 में उल्लेख कर अंकन किया गया है कि प्रस्तुत जवाब की जांच हेतु पटवारी हल्का को लिखा जाकर पत्रावली आगामी दिनाक 30.12.2021 को पेश हो। उक्त आदेशिका की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट दिनांक 07.01.2022 अपने आप में विरोधाभासी है। अपीलान्ट को रिपोर्ट की प्रति उपलब्ध करवाये बिना एवं पटवारी हल्का से परीक्षण व प्रतिपरीक्षण का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। पटवारी हल्का ने रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 5 में मौके पर पक्का निर्माण व बाड़े लगभग 50 वर्ष पुराने होने व बिन्दु संख्या 4 में ग्रामवासियान के अनुसार मौके पर पिछले लगभग 100 वर्षो से पाल नहीं होने का अंकन किया है। इसके विपरीत पटवारी हल्का ने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 में अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2078 में अतिक्रमण किया जाना अंकित किया है जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में वर्णित प्रावधानों अनुसार किसी सिवायचक भूमि से बेदखली हेतु अधिकतम 30 वर्ष की मियाद निर्धारित है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट विधि में वर्णित प्रावधानों के विपरीत है एवं वादग्रस्त आराजी अपीलान्ट के पक्ष में आवंटन/नियमन योग्य है एवं अपीलान्ट नियमन राशि राजकोष में जमा करवाने को तैयार है। उन्होने आगे कथन किया कि विवादित आराजी की किस्म गैर मुमकिन पाल बताते हुए ग्राम के असामाजिक तत्वों द्वारा अनावश्यक रूप से राजनैतिक पार्टीबाजी के कारण प्रकरण दर्ज करवाया गया है, जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों में कही पर भी उक्त भूमि आवंटन व नियमन करने से प्रतिबंधित नहीं की गई है। उन्होने हमारा ध्यान R.B.J. 2021(28) पेज 51 पर माननीय उच्च न्यायालय व R.R.D. 1977 पेज 673 पर माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान

कार्यालय अपर जिला कलक्टर * अजमेर *

अपर कलक्टर
अजमेर

अजमेर द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांतों की ओर आकर्षित करते हुए कथन किया कि मौके पर किस्म के विपरीत भौतिक स्थिति विद्यमान हो तो ऐसी भूमि आवंटन/नियमन की जा सकती है। ऐसी स्थिति में माननीय राज0 उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान के केस में पारित निर्णय लागू नहीं होगा व आराजी का आवंटन/नियमन किया जा सकता है। अन्त में उन्होने कथन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में पैरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा अनाधिकृत रूप से सिवायचक भूमि पर अतिक्रमण कर पक्का निर्माण किया गया है। विवादित आराजी राजस्व रेकॉर्ड में गैर मुमकिन पाल के रूप में दर्ज है। अपीलान्ट का यह कथन गलत है कि उन्हें सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया है एवं विवादित आराजी पर अतिक्रमण पाये जाने पर आक्षेपीय आदेश पारित किया गया है जो न्यायोचित है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 30.11.2021 से स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा सम्वत 2078 में विवादित भूमि पर अनाधिकृत रूप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया गया है। विवादित भूमि राजस्व रेकार्ड में सिवायचक दर्ज होने के साथ ही गैर मुमकिन पाल की भूमि है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित श्रेणी की आराजी होकर नियमन योग्य भी नहीं है। वकील अपीलान्ट ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2022 अनुसार वादग्रस्त आराजी पर अपीलान्ट का पक्का निर्माण व बाड़े लगभग 50 वर्ष पुराने होने का उल्लेख करते हुए अपीलान्ट के पुराने मकान बने होने के आधार पर ग्राम पंचायत पनेर द्वारा सन् 2017 में रिहायशी भूमि के पट्टे जारी किये जाने का कथन किया है किन्तु उनके द्वारा अपने कथनों के समर्थन में न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। वे अपने कथनों को सिद्ध करने में असमर्थ रहे हैं। अपीलान्ट का यह कथन भी गलत है कि उन्हें सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्हें सुनवाई का समुचित अवसर देकर मौके की जांच करने के पश्चात् अतिक्रमण पाये जाने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश न्यायोचित है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है। हम उक्त आदेश में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट सारहीन एवं भारहीन होने से निरस्त की जाती है।

आदेश आज दिनांक 22.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

(लोकेश कुमार गौतम)
अपर कलक्टर
अजमेर

न्यायालय अपर जिला कलक्टर
अजमेर